न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 118/17–18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

नुतन तोपनो – विक्रेता

कमल कन्डुलना – क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख		
21.6.2018	**आदेश**	

आवेदक/आवेदिका नुतन तोपनो पिता प्रभु सहाय तोपनो ग्राम दियांकेल, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने कमल कन्डुलना पिता गोपाल कन्डुलना ग्राम तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
दियांकेल	51	35	2140	0.15

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान एवं लगान की रसीद सं0 995314 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 280(II) दिनांक 17.06.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधुआ पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार बुधुआ पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकवा 22.38 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 3.73 एकड़ है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2011–2012 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 3.58 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नुतन तोपनो पिता प्रभु सहाय तोपनो को कमल कन्डुलना पिता गोपाल कन्डुलना के साथ ग्राम दियांकेल के खाता सं0 35 खेसरा संख्या 2140 का रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 1733.00(एक हजार सात सौ तैंतीस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

21.6.2018

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

21.6.2018

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।